प्रेस-नोट दिनांक-07.09.2024

जनपद चन्दौली

◆चाक-चौबंद सुरक्षाव्यवस्था के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, बैंकों व संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु/वाहनों की सघन चेकिंग हेतु चलाया गया विशेष अभियान

चन्दौली- जनपद चन्दौली में स्थित बैंकों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों बाजारों व भीड़भाड़ वाले स्थानों की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत, श्री आदित्य लाग्हें पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में समस्त थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा बैंकों व उसके आसपास सघन चेकिंग हेतु विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के क्रम में समस्त थाना क्षेत्र व थाना व चौकी प्रभारियों सहित चेकिंग हेतु गठित पुलिस टीमों द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत सभी बैंक/पोस्ट ऑफिस/ग्राहक सेवा केंद्र व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों/ सर्राफा बाजार व उसके आसपास संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की सघन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान बैंकों में लगे अलार्म एवं सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया कि सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं या नही, शाखा प्रबंधक से इस सम्बन्ध में वार्ता की गयी। थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख प्वाइंटों पर संदिग्धों को चिन्हित करते हुए बैरियर लगाकर संदिग्ध बाइक सवारों व वाहनों को चेकिंग किया जा रहा है। बिना नंबर व गलत नंबर प्लेट वाले वाहनों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। बैंक डयूटी में लगे पुलिसकर्मियों को चेक कर सतर्कतापूर्वक डयूटी करने हेतु निर्देश दिये गये। बैंक परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गयी एवं अनावश्यक रूप से बैठे व्यक्तियों को बैंक परिसर से बाहर किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 07.09.2024

थाना इलिया जनपद चन्दौली

➡ मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी करने जैसे अपराध कारित करने वाले अन्तर्जनपदीय गैंग सरगना/गैंग के सदस्य, कुल 02 अभियुक्तों के विरूद्ध थाना इलिया द्वारा गैंगस्टर एक्ट की गयी कार्यवाही।

➡ इन अपराधियों का एक सक्रिय संगठित गिरोह है, जो अपने आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु करता है मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी

➡ आपराधिक कृत्यों से समाज में आम जनता के मध्य भय और आंतक का माहौल बनाने वाले अभियुक्तगण के विरुद्ध की गयी गैंगस्टर एक्ट की गयी कार्यवाही।

चन्दौली- चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशो के अनुपालन मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसोदिया के पर्यवेक्षण मे थाना प्रभारी इलिया हरिश्चन्द्र सरोज थाना इलिया जनपद चन्दौली पर गठित टीम द्वारा अपराधियों एवं मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी जैसे अपराध करने वालो के विरूद्ध की जा रही अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के क्रम में थाना क्षेत्र इलिया में मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी करने जैसे अपराध करने वाले अभियुक्तगण 1. (गैंग लीडर) सुजीत यादव पुत्र जद्दू यादव निवासी ग्राम चनरखा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र 32 वर्ष 2. (गैंग सदस्य) अशोक साह पुत्र सर्वजीत साह निवासी ग्राम दादर थाना मोहनिया जनपद कैमूर भभुआ बिहार उम्र 35 वर्ष के विरूद्ध थाना इलिया पर दिनाँक 07.09.2024 को मु0अ0सं0 93/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1986 का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

उपरोक्त संगठित गैंग के लीडर व गैंग सदस्यों द्वारा साथ मिलकर अपने आपराधिक कृत्यों से समाज में भय एवं आतंक का माहौल बनाकर आम जनता को आतंकित/भयभीत व मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी कर अनाधिकृत रुप से भौतिक,आर्थिक एवं दुनियाबी लाभ प्राप्त किया जा रहा है। उपरोक्त गैंग के सरगना/सदस्य पर जनपद के थाना इलिया जनपद चन्दौली में एनडीपीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट पंजीकृत है।

अपराधिक इतिहास का विवरण-

(गैंग लीडर)1.सुजीत यादव पुत्र जद्दू यादव निवासी ग्राम चनरखा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र 32 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0-93/2024 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना इलिया जनपद चन्दौली

2.मु0अ0स0-87/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इलिया जनपद चन्दौली

3.मु0अ0स0-88/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इलिया जनपद चन्दौली

(गैंग सदस्य) 2.अशोक साह पुत्र सर्वजीत साह निवासी ग्राम दादर थाना मोहनिया जनपद कैमूर भभुआ बिहार उम्र 35 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0-93/2024 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना इलिया जनपद चन्दौली

2.मु0अ0स0-87/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इलिया जनपद चन्दौली

3.मु0अ0स0-89/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इलिया जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक-07.09.2024

थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

◆थाना नौगढ पुलिस टीम द्वारा गोवंश की तस्करी करने वाले 03 अभियुक्तों के विरूद्ध की गयी गैगेस्टर की कार्यवाही

◆इन अपराधियों का एक सक्रिय संगठित गिरोह है, जो अपने आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु करता है गोवंश की तस्करी

◆आपराधिक कृत्यों से समाज में आम जनता के मध्य भय और आंतक का माहौल बनाने वाले अभियुक्तगण के विरुद्ध की गयी गैंगस्टर एक्ट की गयी कार्यवाही।

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (आप0) अनिल कुमार यादव के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नौगढ कृष्ण मुरारी शर्मा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली द्वारा अपराधियों के विरूद्ध की जा रही अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के क्रम में थाना नौगढ क्षेत्र अंतर्गत गोवंश की तस्करी करने वाले अभियुक्तगण गैंग लीडर 1. विजय चौहान पुत्र माथूर चौहान निवासी ग्राम इसरगोड़वा थाना इलिया जनपद चन्दौली व सदस्य 2. पिन्टू चौहान पुत्र छोटे चौहान ग्राम मड़रिया थाना चाँद जनपद भभुआ बिहार 3. संजय चौहान पुत्र बेचन चौहान ग्राम मड़रिया थाना चाँद जनपद भभुआ बिहार के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 87/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि0 1986 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

अभियुक्तगण का विवरण-

गैंग लीडर-

1.विजय चौहान पुत्र माथूर चौहान निवासी ग्राम इसरगोड़वा थाना इलिया जनपद चन्दौली उम्र 26 वर्ष

गैंग सदस्य-

2. पिन्टू चौहान पुत्र छोटे चौहान ग्राम मड़रिया थाना चाँद जनपद भभुआ बिहार उम्र 26 वर्ष

3. संजय चौहान पुत्र बेचन चौहान ग्राम मड़रिया थाना चाँद जनपद भभुआ बिहार उम्र 55 वर्ष

पंजीकृत अभियोगः-

1.मु0अ0स0 87/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि0 1986

गैंग लीडर का आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 – 06/023 धारा धारा 3/5A/5B/8 गौ वध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 429 भादवि थाना नौगढ चन्दौली

2. मु0अ0सं0 – 09/023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नौगढ चन्दौली

गैंग सदस्य का अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 – 06/023 धारा धारा 3/5A/5B/8 गौ वध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 429 भादवि थाना नौगढ चन्दौली

कार्यवाही करने वाली टीम–

1.थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह थाना नौगढ जनपद चन्दौली।

2.उ0नि0 अवधेश सिंह थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली।

3.का0 विशाल यादव थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली।

4.का0 संदीप यादव थाना नौगढ जनपद चन्दौली।

प्रेस नोट दिनांक 07.09.2024

थाना बबुरी जनपद चन्दौली

थाना बबुरी पुलिस टीम द्वारा गोवध के एक वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपराध एवं वांछित अपराधियों व वारण्टियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक सदर एवं क्षेत्राधिकारी PDDU नगर के गहन पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक बबुरी अनिल कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में मु0अ0सं0 72/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गौहत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता निवारण अधि0 व 429 भादवि से सम्बन्धि वांछित अभियुक्त अजीत कुमार पुत्र लालजी निवासी ग्राम अमडा बसिला थाना कोतवाली चन्दौली जनपद चन्दौली उम्र करीब 38 वर्ष को अभियुक्त के घर ग्राम अमडा बसिला थाना कोतवाली चन्दौली क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार वांछित का नाम व पता-

1.अजीत कुमार पुत्र लालजी निवासी ग्राम अमडा बसिला थाना कोतवाली चन्दौली जनपद चन्दौली उम्र करीब 38 वर्ष

अपराध विवरण वांछित-

मु0अ0सं0 72/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गौहत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता निवारण अधि0 व 429 भादवि

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण-

1.अनिल कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना बबुरी जनपद चन्दौली

1.उ0नि0 गुलाम हुसैन थाना बबुरी जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 राकेश यादव थाना बबुरी जनपद चन्दौली

3.हे0का0 विरेन्द्र यादव थाना बबुरी जनपद चन्दौली ।

प्रेस नोट दिनांक-07.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

◆श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री कुँवर जितेन्द्र बहादुर सिंह (सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 02 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व 7000- 7000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 04 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना चकिया के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 01.07.92 को धारा 457,380,411 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.नरसिंह पुत्र जगरदेव 2.मुन्नू उर्फ मुन्ना पुत्र कान्ता निवासीगण मुबारकपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 110/92 धारा 457,380,411 भादवि थाना चकिया में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व अभियोजक श्री विपिन बिहारी यादव (पीओ) व थाना चकिया के पैरोकार आरक्षी दुर्गेश कुमार यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-07.09.2024 को पीठासीन अधिकारी श्री कुँवर जितेन्द्र बहादुर सिंह (सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्तों 1.नरसिंह पुत्र जगरदेव 2.मुन्नू उर्फ मुन्ना पुत्र कान्ता निवासीगण मुबारकपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली को प्रत्येक को जेल में बितायी गयी अवधि व 7000- 7000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 04 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-07.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

◆श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री श्याम बाबू (एएसजे/एफटीसी-प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 3 वर्ष का साधारण कारावास व 5000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना चकिया के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 31.01.2003 को धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.विजयी सिंह पुत्र परमार सिंह निवासी सादुल्लापुर थाना चकिया जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 35/2003 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना चकिया में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री अवधेश कुमार पाण्डेय (एडीजीसी) व थाना चकिया के पैरोकार हे0का0 विजय राय (पैरोकार) की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-07.09.2024 को पीठासीन अधिकारी श्री श्याम बाबू (एएसजे/एफटीसी-प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त 1.विजयी सिंह पुत्र परमार सिंह निवासी सादुल्लापुर थाना चकिया जनपद चन्दौली को 3 वर्ष का साधारण कारावास व 5000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-07.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

◆श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव(न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना सैयदराजा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 05.03.2004 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.फुजैल पुत्र इब्बीअहमद निवासी बेगम बाजार थाना धुमनगंज जनपद प्रयागराज के विरुद्ध अपराध संख्या- 33/2004 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व अभियोजक श्री विजय पाण्डेय (एपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव प्रजापति की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-07.09.2024 को पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव(न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त 1.फुजैल पुत्र इब्बीअहमद निवासी बेगम बाजार थाना धुमनगंज जनपद प्रयागराज को को न्यायालय उठने तक की सजा व 2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-07.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

◆श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव(न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 04 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व 1200 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना धानापुर के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 09.02.2022 को धारा 323,504 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.रामजी बिन्द पुत्र मोतीलाल बिन्द 2.रविन्द्र बिन्द पुत्र रामजी 3.विरेन्द्र पुत्र रामजी 4. मीरा पत्नी पप्पू बिन्द निवासीगण भदाऊ थाना धानापुर जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 09/2022 धारा 323,504 भादवि थाना धानापुर में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व अभियोजक श्री विजय पाण्डेय (एपीओ) व थाना धानापुर के पैरोकार मुख्य आरक्षी सुबहान अहमद की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-07.09.2024 को पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव(न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 04 अभियुक्तों 1.रामजी बिन्द पुत्र मोतीलाल बिन्द 2.रविन्द्र बिन्द पुत्र रामजी 3.विरेन्द्र पुत्र रामजी 4. मीरा पत्नी पप्पू बिन्द निवासीगण भदाऊ थाना धानापुर जनपद चन्दौली प्रत्येक को न्यायालय उठने तक की सजा व 1200 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-07.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

◆श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री रोहित पुरी (अपर सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1500 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी

थाना शहाबगंज के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 20.08.1997 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.दुधनाथ पाल पुत्र रामचन्द्र निवासी मालदह थाना शहाबगंज जिला चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 70/1997 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना शहाबगंज में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व अभियोजक श्री विपिन बिहारी यादव (पीओ) व थाना शहाबगंज के पैरोकार आरक्षी बिपीन कुमार यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-07.09.2024 को पीठासीन अधिकारी श्री रोहित पुरी (अपर सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्तों 1. दुधनाथ पाल पुत्र रामचन्द्र निवासी मालदह थाना शहाबगंज जिला चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 1500 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-07.09.2024

थाना सकलडीहा जनपद चंदौली

◆थाना सकलडीहा पुलिस टीम द्वारा चोरी के 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार कब्जे से चोरी का सामान बरामद

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के गहन पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष सकलडीहा संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना सकलडीहा पुलिस टीम द्वारा चोरी के 01 वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूर्व की घटना:-

दिनांक 05.09.2024 को अभियुक्त द्वारा रानेपुर गांव मे वादी के घर में घुसकर एक बोरी चावल चोरी किया गया था। उक्त घटना में वादी के तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-142/2024 धारा 305ए/317(2) BNS पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित थी। जिसके क्रम में घटना का वांछित अभियुक्त सतीश राय उर्फ चिल्लर पुत्र राजेन्द्र राय निवासी ग्राम सलेमपुर सिवाने थाना बलुआ नौरंगाबाद हेत्तमपुर तिराहा से अभियुक्त उपरोक्त को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्त-

सतीश राय उर्फ चिल्लर पुत्र राजेन्द्र राय निवासी ग्राम सलेमपुर सिवाने थाना बलुआ जिला चन्दौली उम्र 23 वर्ष

बरामदगी-

एक बोरी चावल चोरी का (लगभग 30 किलो ग्राम)

बरामदगी एंव गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.उ0नि0 सुरेश प्रकाश सिंह चौकी प्रभारी डेढावल कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

2.हे0का0 उमाकान्त चौकी डेढावल कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

प्रेस नोट-दिनांकः 07.09.2024

यातायात पुलिस चंदौली

◆यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम ने चलाया विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान आज दिनांक 07.09.2024 को कुल 125 वाहनों का चालान करते हुए 1,42,500/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।

◆यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस पर आ रहे ऑटो का भी किया जा रहा चालान

◆यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 07.09.2024 जनपद में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों का उल्ल्घन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 125 वाहनों का चालान करते हुए 1,42,500/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें ।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्ल्घन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या यातायात नियम उल्ल्घन का प्रकार चालान की संख्या

1 मोटरसाइकिल पर तीन सवारी-07

2 बिना इंश्योरेन्स के वाहन चलाना-02

3 बिना हेलमेट-54

4 नो पार्किंग-47

5 गलत दिशा में वाहन चलाना-07

6 गलत नंबर प्लेट- 04

7 बिना फिटनेस वाहन चलाना- 03

8 अन्य- 01

यातायात नियमों के उलंघन में आज दिनांक 07.09.2024 को की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः-125

(2)संपूर्ण कारित राजस्वः-1,42,500/- रूपयें।

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 07.09.2024

जनपद चन्दौली

◆पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों में नियुक्त महिला बीट अधिकारियों द्वारा ग्राम/स्कूल/कालेज चौपाल का आयोजन कर महिलाओं की समस्याओ का किया जा रहा निस्तारण

◆समस्त थानों की महिला पुलिस कर्मी व एण्टीरोमियो टीम द्वारा मंदिरों, बाजारों, स्कूलों/कालेजों व प्रमुख मार्गो पर चेकिंग के दौरान 06 संदिग्ध व्यक्तियों को दी गई चेतावानी

उ०प्र० शासन की मंशा के अनुरुप मिशन शक्ति अभियान (फेज 4) के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों के पुलिस बल द्वारा थाना क्षेत्र के गाँवों/स्कूलों/कालेजों में चौपाल का आयोजन कर प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल के आयोजन करने की शुरुआत की गई है। अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर थाना पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार नही आना पड़ेगा अपितु "शक्ति दीदी" नियमित रुप से ग्राम/स्कूल चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवों/स्कूलों/कालेजों में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा।

इसी क्रम में आज दिनांक 07.09.2024 को जनपद चन्दौली के समस्त थानो पर नियुक्त महिला पुलिसकर्मियों द्वारा सीधा संवाद स्थापित कर महिलाओं / बालिकाओं से वार्ता कर उनकी समस्याओं व शिकायतों के विषय में जानकारी कर समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया जा रहा है। महिलाओ एवम् बालिकाओं को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन) फेज-4 के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई और शासन द्वारा जारी हेल्प लाइन नम्बर-112,108,181,1076,1090, 1098 की जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग हेतु बताया गया। साथ ही शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं में उज्जवला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। साइबर अपराधों से बचाव के बारे में बताया गया और यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध की घटना घटित होती है तो तत्काल साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये सूचना दर्ज होने के उपरान्त शीघ्र त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

इसी क्रम में जनपद के समस्त एण्टीरोमियो टीम द्वारा अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों को चेक किया गया। जिसके तहत 06 व्यक्तियों को चेतावनी दी गई।

प्रेस नोट दिनांक-07.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

◆श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री रोहित पुरी (अपर सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को को जेल में बितायी गयी अवधि व 4000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 04 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना बबुरी के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 27.06.1996 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1. रामचेला यादव पुत्र सुमेर यादव निवासी सौढा थाना दुर्गावती जिला भभुआ बिहार के विरुद्ध अपराध संख्या-96/1996 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना बबुरी में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व अभियोजक श्री विपिन बिहारी यादव (पीओ) व थाना बबुरी के पैरोकार आरक्षी राम नरायण की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-07.09.2024 को पीठासीन अधिकारी श्री रोहित पुरी (अपर सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्तों 1.रामचेला यादव पुत्र सुमेर यादव निवासी सौढा थाना दुर्गावती जिला भभुआ बिहार को जेल में बितायी गयी अवधि व 4000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 04दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-07.09.2024

जनपद: चन्दौली

◆चुस्त-दुरुस्त कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त थाना/चौकी प्रभारी मय पुलिस बल द्वारा किया जा रहा सायं पैदल गश्त

◆संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की की जा रही सघन चेकिंग

◆पैदल गश्त के दौरान आमजन व व्यापारियों से संवाद कर कराया जा रहा सुरक्षा का एहसास

चंदौली:-

श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में आगामी त्योंहार के दृष्टिगत जनपद में चाक चौबन्द सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था तथा बालिका/महिला सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारी मय पुलिस बल के साथ सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए सायं पैदल गश्त किया जा रहा है। पैदल गश्त के दौरान प्रमुख मार्गो, चौराहों, बाजारों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई। पैदल गश्त के दौरान आम जन को आश्वस्त कराया जा रहा है कि जनपद चन्दौली पुलिस शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है।